मेसर्स औरम रियल एस्टेट डेवेलपर्स लिमिटेड - सेज, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, घनसोली, नवी मुंबई, के क्षेत्र विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की **65**वीं बैठक का कार्यवृत्त, विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज की अध्यक्षता में **20.07.2026** को सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई में आयोजित किया गया।

Minutes of 65th Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of M/s. Aurum Real Estate Developers Ltd. - SEZ, TTC Industrial Area, Thane-Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 20.07.2026, at Conference Hall, 2nd Floor, The Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai

---

1.	Name of the SEZ	:	M /s. Aurum Real Estate Developers Ltd.
2.	Sector	:	IT/ITES
3.	Meeting No.	:	65th
4.	Date	:	20.07.2026

<u>उपस्थित सदस्य / Members Present:</u>

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम **Name of Members**	पद का नाम **Designation**	संगठन **Organization**
1	श्री. मयूर आर. मानकर Shri. Mayur R. Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीप्ज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
2	श्री. सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner, Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री. संदीप डी. भोसले Shri. Sandip D. Bhosale	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीप्ज़-सेज़ SEEPZ –SEZ औरम-सेज़ Aurum-SEZ
4	श्री बैकियावेलु मुथारासु Shri. Backiyavelu Mutharasu	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
5	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra
6	श्री रवींद्र केनी Shri Ravindra Keny	सहायक सीमा शुल्क आयुक्त Assistant Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
7	श्री जय मनोज शाह Shri. Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीप्ज़-सेज़ SEEPZ –SEZ

बैठक में सहायता और सुचारू कामकाज के लिए श्री राहुल शिवण्णगोल, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री हनिश राठी, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री सुदर्शन शिंदे, एडीसी (न्यू एसईजेड) श्री जय दीप, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री अमन कुमार शर्मा, एडीसी (न्यू एसईजेड), और श्री पलाश शंकर, एडीसी (सीप्ज़-सेज़) भी बैठक में सहायता और उसके सुचारू संचालन के लिए उपस्थित रहे।

Shri Rahul Shivannagol, ADC (NEW SEZ), Shri Hanish Rathi, ADC (NEW SEZ), Shri Soodershan Shindde, ADC (New SEZ), Shri Jai Deep, ADC (NEW SEZ), Shri Aman Kumar Sharma, ADC (NEW SEZ) and Shri Palash Shankar, ADC (SEEPZ-SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

कार्यसूची मद संख्या 01: -

दिनांक 24.03.2026 को आयोजित 64वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

Agenda Item No. 01: -

Confirmation of Minutes of the 64th Meeting held on 24.03.2026.

दिनांक **24.03.2026** को आयोजित **64वीं** बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

The Minutes of the **64th** Meeting held on **24.03.2026** were confirmed with consensus.

कार्यसूची मद संख्या 02: -

मेसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का कैफेटेरिया बनाने के लिए आवेदन।

सीप्ज़-एसईजेड/न्यूएसईजेड/एचटीएल/57/2016-17/26824, दिनांक 01.09.2016 (मूल अनुमोदन पत्र)

Agenda Item No. 02: -

Application for setting up cafeteria of M/s. Hexaware Technologies Limited.

SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/HTL/57/2016-17/26824, Dated 01.09.2016 (Original LOA)

Sr. No.	Name of the Vendor/ Operator	Activity	Area	Location	Justification Premises
1	M /s. M.P Caterers & Hospitality	Cafeteria (Food Vendor)	13,500 sq. ft.	on the 6th & 7th floor of IT building 01/Q1	The vendor will serve food to the employees working in the SEZ campus.

निर्णय :- विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के मद संख्या 3(क) के प्रावधानों के अंतर्गत, **मेसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड** द्वारा अपने परिसर में कैफेटेरिया स्थापित करने के प्रस्ताव को **अनुमोदित किया।** यह अनुमोदन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी उक्त निर्देश के अनुसार एक उपक्रम तथा औरम-एसईजेड के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मानचित्र विन्यास (लेआउट) की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने के **अधीन होगा।**

Decision: - After deliberation, the Committee **approved** the proposal of **M/s. Hexaware Technologies Limited** for setting up of a cafeteria in their premises in terms of Rule 11 (5) of the SEZ Rules, 2006 and MoC&I Instruction No. 95 dated 11.06.2019, item no. 3 (a) subject to submission of an Undertaking in terms of the aforesaid instruction issued by MoC&I and NOC along with Inspection Report and verified copy of the map layout issued by the Specified Officer, Aurum-SEZ.

कार्यसूची मद संख्या 03: -

मेसर्स कैमलॉट को-वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में नॉन-कम्प्लायंट SEZ यूनिट्स के LoAs को कैंसल करने का प्रस्ताव।

सीप्ज़-एसईजेड/न्यू-एसईजेड/सीसीपीएल-लोमा/283/2017-18/08729, दिनांक 06.04.2018 (मूल अनुमोदन पत्र)

इकाई ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित इकाई वैश्विक बाजार में व्याप्त मंदी के कारण, जिसके परिणामस्वरूप वह ग्राहकों को प्राप्त करने में असमर्थ रही, कभी स्थापित नहीं की जा सकी और न ही परिचालन में लाई जा सकी। अतः प्रस्तावित इकाई के लिए न तो किसी शुल्क-मुक्त आयात अथवा खरीद की गई और न ही शुल्क-भुगतानित वस्तुओं की कोई खरीद की गई। इस आशय की घोषणा अनुमोदन पत्र (एलओए) निरस्त करने हेतु प्रस्तुत मूल आवेदन के साथ संलग्न की गई थी।

निर्णय: - विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(5) तथा एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 के प्रावधानों के अंतर्गत, औरम-एसईजेड स्थित **मेसर्स कैमलॉट को-वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड** के अनुमोदन पत्र को निरस्त करने के प्रस्ताव को, औरम-एसईजेड के विनिर्दिष्ट अधिकारी की टिप्पणियाँ प्राप्त होने के अधीन, **अनुमोदित किया।**

Agenda Item No. 03: -

Proposal for Cancellation of LoAs of Non-Compliant SEZ Units in respect of M /s. Camelot Co-works Private Limited.

SEEPZ-SEZ/NEW-SEZ/CCPL-LOMA/283/2017-18/08729, Dated 06.04.2018 (Original LOA)

The Unit has submitted that the proposed unit was never established nor made operational due to the prevailing global market slowdown, which resulted in its inability to secure clients. Accordingly, no duty-free imports or procurement were made, nor were any duty-paid goods procured for the proposed unit. A declaration to this effect had been enclosed with the original application seeking cancellation of the Letter of Approval (LoA).

Decision: - After deliberation, the Committee **approved** the proposal of M/s. Camelot Co-works Private Limited located at AURUM-SEZ for cancellation of LOA in terms of Rule 19 (5) of the SEZ Rules, 2006 and Section 16 of SEZ Act, 2005 subject to submission of comments from the Specified Officer, Aurum-SEZ.

कार्यसूची मद संख्या 04: -

मेसर्स लक्स एक्चुअरीज एंड एनालिटिक्स एलएलपी के संबंध में गैर-अनुपालन एसईजेड इकाइयों के एलओए को रद्द करने का प्रस्ताव।

Agenda Item No. 04: -

Proposal for Cancellation of LoAs of Non-Compliant SEZ Units in respect of M /s. LUX Actuaries & Analytics LLP.

सीप्ज़-एसईजेड/न्यूएसईजेड/एलएएलएलपी/69/2017-18/14750, दिनांक 20.07.2017 (मूल अनुमोदन पत्र)	SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/LALLP/69/2017-18/ 14750, dated 20.07.2017 (Original LOA)
इकाई का अनुमोदन पत्र (एलओए), जिसकी वैधता 31.07.2022 तक थी, बिना नवीनीकरण अथवा एसईजेड योजना से बाहर निकलने (एग्जिट) के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किए ही समाप्त हो गया। फलस्वरूप, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.09.2025 को एक पत्र तथा दिनांक 24.09.2025 को एक अनुस्मारक ई-मेल जारी कर एसईजेड योजना के अंतर्गत बने रहने के संबंध में इकाई के अभिप्राय पर स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके उत्तर में, इकाई ने एसईजेड योजना से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूर्ण करने के उद्देश्य से एलओए की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके अनुसार एलओए की वैधता 30.12.2025 तक बढ़ा दी गई। तथापि, उक्त अवधि-विस्तार तथा उसके पश्चात जारी अनुस्मारक पत्रों के बावजूद, इकाई ने न तो नवीनीकरण अथवा एग्जिट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया और न ही इस कार्यालय के साथ कोई अन्य पत्राचार किया।	The unit's Letter of Approval (LoA), which was valid up to 31.07.2022, expired without the unit applying for either its renewal or exit from the SEZ Scheme. Consequently, this office issued a letter dated 16.09.2025 and a reminder email dated 24.09.2025 seeking clarification on the unit's intention regarding continuation under the SEZ Scheme. In response, the unit requested an extension of the LoA to facilitate its exit from the Scheme, and accordingly, the validity of the LoA was extended up to 30.12.2025. However, despite the extension and subsequent reminder letters, the unit neither applied for renewal or exit nor made any further communication with this office.
निर्णय: - विचार-विमर्श के उपरांत, समिति **ने मेसर्स एलयूएक्स एक्चुअरीज एंड एनालिटिक्स एलएलपी** को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 तथा ईपीसीईएस (EPCES) द्वारा दिनांक 24.09.2025 को गैर-अनुपालक इकाइयों के एलओए निरस्तीकरण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत एसईजेड योजना से बाहर निकलने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति ने आगे यह भी निर्देश दिया कि LOA का विस्तार केवल एग्जिट औपचारिकताएं पूरी करने के उद्देश्य से ही दिया जा सकता है। समिति ने संबंधित सहायक विकास आयुक्त, औरम-एसईजेड को निर्देशित किया कि वे इकाई के गैर-परिचालन के संबंध में औरम-एसईजेड के विनिर्दिष्ट अधिकारी एवं डेवलपर से टिप्पणियाँ प्राप्त करें।	**Decision: -** After deliberation, the Committee directed **M /s. LUX Actuaries & Analytics LLP** to submit an application for EXIT from SEZ Scheme in terms of Rule 74 of SEZ Rules, 2006 and guidelines issued by EPCES for cancellation of LOA of Non-compliant units dated 24.09.2025. The committee further directed that extension of LOA may be granted solely for the purpose of completing exit formalities. The Committee directed the concerned Asstt. Development Commissioner, Aurum-SEZ to obtain comments from the Specified Officer, Aurum-SEZ and the Developer w.r.t. non-operationality of the unit.
बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।	Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Signature Not Verified
Digitally Signed By
Dnyaneshwar B Patil
Date: 2026.07.31 23:41:00

Shri. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ